भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3972
दिनांक 25 मार्च, 2025 / 04 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस आधुनिकीकरण योजनाएं

†3972. कु. सुधा आर.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए वर्ष 2014 से अब तक आवंटित किए गए और जारी किए गए वार्षिक बजट की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक पूरी की गई पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पुलिस आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए वर्ष 2014 से अब तक जारी की गई निधि कितनी है और उसकी राज्यवार स्थिति क्या है; और

(घ) क्या आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत समुद्र तटीय सुरक्षा समूह को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही राज्यवार व्यय की गई राशि और खरीदे गए उपकरण/गैजेट तथा उनकी लागत क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने के राज्यों के प्रयासों में केंद्र सरकार द्वारा "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना [पूर्व में "राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" योजना] के तहत सहायता प्रदान की गई है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3972, दिनांक 25.03.2025

योजना का उद्देश्य प्रासंगिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है। योजना का फोकस सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियारों, संचार उपकरणों आदि से लैस करके पुलिस अवसंरचना को मजबूत करके अत्याधुनिक स्तर का बनाने पर है।

तटीय सुरक्षा संबंधी मदों के लिए भी इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी आवश्यकताओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य योजनाएँ तैयार करती हैं तथा इन कार्य योजनाओं पर मंत्रालय में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा विचार किया जाता है। तटीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक कुछ मदों को तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्य योजनाओं में शामिल किया जाता है, जिन पर तदनुसार विचार किया जाता है। अब तक स्वीकृत मदों में स्कूबा डाइविंग किट, आउट बोर्ड मोटर (ओबीएम) और सहायक उपकरण के साथ बचाव नाव, जीवन रक्षक उपकरण (लाइफ जैकेट, रेसक्यू ट्यूब, लाइफ बॉय आदि), सहायक उपकरण के साथ लंबी दूरी तक संचालित किया जा सकने वाला ड्रोन, ड्रैगन लाइट/सर्च लाइट, उच्च दबाव श्वास वायु कंप्रेसर, अंडर वॉटर कैमरा, सहायक उपकरण के साथ वॉकी टॉकी रेडियो, दूरबीन (नाइट विजन) आदि शामिल हैं।

वर्ष 2014 से "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को बजटीय आबंटन, उन्हें जारी की गई निधि और उनके द्वारा उपयोग की गई निधि का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 3972, दिनांक 25.03.2025

अनुलग्नक

तालिका सं. I: 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित, जारी की गई निधियों तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15			2015-16			2016-17		
		आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	59.95	54.17	54.17	22.68	32.56	32.56	22.68	41.1	41.10
2	अरुणाचल प्रदेश	9.61	9.69	9.29	3.64	3.05	2.70	3.64	2.69	1.15
3	असम	64.70	43.29	36.89	83.77	62.59	59.36	24.47	4.68	4.02
4	बिहार	67.70	49.08	49.08	25.62	26.57	26.488	25.62	19.15	18.13
5	छत्तीसगढ़	23.82	37.36	37.36	9.01	14.24	14.24	9.01	1.73	1.73
6	गोवा	2.51	1.86	1.86	0.95	0.13	0.13	0.95	0.18	0.18
7	गुजरात	62.69	72.65	72.65	23.72	23.75	23.75	23.72	43.22	43.22
8	हरियाणा	28.13	28.25	28.25	10.64	14.74	14.74	10.64	19.29	19.29
9	हिमाचल प्रदेश	8.59	5.75	5.75	3.25	0.44	0.44	4.88	5.58	5.58
10	जम्मू और कश्मीर	97.79	105.17	104.86	37.00	35.88	35.316	37.00	34.54	29.48
11	झारखंड	22.56	34.52	34.12	8.54	22.44	22.06	8.54	1.64	1.64
12	कर्नाटक	94.03	103.65	103.65	35.58	39.45	39.45	35.58	72.04	72.04
13	केरल	39.50	42.00	42.00	14.94	2.01	2.01	14.94	11.09	11.09
14	मध्य प्रदेश	66.45	58.18	58.18	25.14	26.8	26.80	25.14	21.86	21.86
15	महाराष्ट्र	115.47	76.65	76.65	43.69	50.88	50.88	43.69	12.8	10.30
16	मणिपुर	23.40	28.45	28.45	8.85	7.79	7.79	8.85	8.37	6.65
17	मेघालय	9.20	6.98	6.98	11.29	8.28	7.76	3.48	0.67	0.47
18	मिजोरम	11.71	19.03	19.03	4.43	5.41	5.41	4.43	8.12	8.12
19	नागालैंड	26.33	31.39	31.39	9.96	13.78	13.78	9.96	18.05	18.05
20	ओडिशा	38.24	42.92	42.92	14.47	19.46	19.46	14.47	26.22	26.22
21	पंजाब	40.25	38.13	38.13	15.23	20.67	20.67	15.23	27.6	26.73
22	राजस्थान	76.61	102.5	102.50	28.99	34.18	34.18	28.99	34.54	34.54
23	सिक्किम	4.34	3.57	3.57	1.64	0.22	0.22	1.64	1.96	1.96
24	तमिलनाडु	85.38	85.74	85.74	32.31	63.9	34.41	32.31	89.24	71.77
25	तेलंगाना	42.86	68.13	68.13	16.22	16.32	16.32	16.22	29.4	29.40
26	त्रिपुरा	19.22	22.69	22.57	7.28	7.00	7.00	7.28	1.4	1.40
27	उत्तर प्रदेश	154.87	169.23	169.23	58.59	69.99	69.99	58.59	35.8	35.80
28	उत्तराखंड	8.25	8.81	8.81	3.12	3.74	3.74	4.68	8.53	8.53
29	पश्चिम बंगाल	70.84	47.4	47.40	26.80	35.52	35.52	26.80	12.31	12.31
	जोड़	**1375.00**	**1397.24**	**1389.61**	**587.36**	**661.79**	**627.174**	**523.43**	**593.80**	**562.76**

जारी...

अनुलग्नक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2017-18			2018-19			2019-20		
		आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	29.87	31.62	31.62	26.48	50.81	50.81	24.46	75.36	75.36
2	अरुणाचल प्रदेश	4.79	3.42	1.71	4.25	1.034	0.77	3.92	0	0
3	असम	32.23	5.48	3.60	28.57	5.67	3.86	26.4	0	0
4	बिहार	33.73	5.73	4.23	29.90	13.18	10.00	27.62	9.42	7.38
5	छत्तीसगढ़	11.87	2.02	2.02	10.52	8.56	8.56	9.72	8.35	8.35
6	गोवा	1.25	0.21	0.21	1.11	0.21	0.21	1.03	0	0
7	गुजरात	31.24	33.05	33.05	27.69	52.62	52.62	25.58	41.19	41.19
8	हरियाणा	14.01	14.04	14.04	12.43	12.95	11.80	11.48	18.48	9.71
9	हिमाचल प्रदेश	4.28	4.09	4.09	3.79	3.35	3.35	3.5	27.49	27.49
10	जम्मू और कश्मीर	48.73	48.00	30.84	43.19	32.69	29.95	39.9	40.2	23.3
11	झारखंड	11.24	1.91	1.91	9.97	9.91	2.86	9.21	7.08	3.59
12	कर्नाटक	46.85	17.12	17.12	41.53	11.39	11.39	38.37	14.61	14.61
13	केरल	19.68	16.12	16.12	17.44	17.78	17.46	16.11	54.01	52.82
14	मध्य प्रदेश	33.11	30.47	30.47	29.34	37.97	37.97	27.11	14.45	14.45
15	महाराष्ट्र	57.54	9.78	6.43	51.00	9.58	6.35	47.11	65.98	0
16	मणिपुर	11.66	1.98	1.30	10.34	5.99	4.20	9.55	10.75	8.96
17	मेघालय	4.58	2.60	2.34	4.07	3.66	3.33	3.75	6.63	6.63
18	मिजोरम	5.83	6.17	6.17	5.16	8.38	8.38	4.77	34.63	31.33
19	नागालैंड	13.12	13.88	13.88	11.63	18.88	18.88	10.74	17.29	17.29
20	ओडिशा	19.05	19.87	19.87	16.89	35.10	35.10	15.6	42.45	42.45
21	पंजाब	20.05	20.07	18.90	17.77	36.52	32.46	16.42	31.33	31.14
22	राजस्थान	38.17	40.38	40.03	33.83	62.59	62.59	31.26	27.28	27.28
23	सिक्किम	2.17	2.39	2.39	1.92	0.362	0.36	1.77	0	0
24	तमिलनाडु	42.54	15.54	15.54	37.70	68.868	46.58	34.84	56.62	39.35
25	तेलंगाना	21.35	22.60	22.60	18.93	64.17	64.17	17.48	57.58	57.58
26	त्रिपुरा	9.58	1.63	1.63	8.49	7.08	7.05	7.84	4.97	4.97
27	उत्तर प्रदेश	77.16	28.20	28.20	68.39	118.67	118.67	63.19	62.75	62.75
28	उत्तराखंड	4.11	4.35	4.35	3.64	13.60	13.60	3.37	5.43	5.43
29	पश्चिम बंगाल	35.3	48.94	48.94	31.28	46.93	46.02	28.9	46.53	46.53
	जोड़	**685.09**	**451.66**	**423.60**	**607.25**	**758.50**	**709.35**	**561**	**780.89**	**659.94**

जारी....

लोक सभा अता. प्र. सं. 3972, दिनांक 25.03.2025

अनुलग्नक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21			2021-22			2022-23		
		आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	24.46	5.83	5.83	24.46	0	0	17.73	0.443	0.44
2	अरुणाचल प्रदेश	3.92	0	0	3.92	0	0	3.26	0.3345	0
3	असम	26.4	0	0	26.4	9.36	8.54	11.64	3.8565	2.02
4	बिहार	27.62	19.12	9.49	27.62	0	0	27.14	0.443	0.33
5	छत्तीसगढ़	9.72	7.16	7.16	9.72	5.44	5.43	11.01	0.443	0.07
6	गोवा	1.03	0.22	0.22	1.03	0.26	0.26	2.79	1.0245	0.69
7	गुजरात	25.58	0	0	25.58	0	0	26.67	0.544	0.27
8	हरियाणा	11.48	0	0	11.48	10.35	8.72	11.96	0.544	0
9	हिमाचल प्रदेश	3.5	0.83	0.83	3.5	0	0	4.34	0.3345	0.33
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	***	***	***
11	झारखंड	9.21	0	0	9.21	0	0	11.87	1.883	0
12	कर्नाटक	38.37	9.14	9.14	38.37	32.54	32.54	19.19	4.7975	4.8
13	केरल	16.11	0	0	16.11	4.48	4.47	18.59	0.443	0.37
14	मध्य प्रदेश	27.11	0	0	27.11	6.78	6.78	25.15	0.443	0.44
15	महाराष्ट्र	47.11	0	0	47.11	0	0	36.24	0.544	0
16	मणिपुर	9.55	0	0	9.55	0	0	4.1	0.9845	0
17	मेघालय	3.75	0	0	3.75	0	0	3.29	2.1145	0
18	मिजोरम	4.77	1.14	1.14	4.77	0	0	2.74	3.2531	2.94
19	नागालैंड	10.74	0	0	10.74	17.03	17.03	3.57	0.3345	0.33
20	ओडिशा	15.6	0	0	15.6	3.9	3.9	13.91	0.443	0.44
21	पंजाब	16.42	4.15	4.15	16.42	0	0	11.18	0.443	0.44
22	राजस्थान	31.26	13.53	11.98	31.26	13.53	12.87	21.18	0.544	0.54
23	सिक्किम	1.77	0	0	1.77	1.37	1.37	2.43	0.3345	0.33
24	तमिलनाडु	34.84	0	0	34.84	0	0	44.04	0.544	0
25	तेलंगाना	17.48	4.16	4.16	17.48	8.74	8.74	14.32	4.124	3.58
26	त्रिपुरा	7.84	5.72	5.58	7.84	6.75	5.67	3.91	0.3345	0.1
27	उत्तर प्रदेश	63.19	32.02	23.61	63.19	32.02	25.54	56.61	0.544	0
28	उत्तराखंड	3.37	0	0	3.37	5.84	5.65	5.43	0.443	0.35
29	पश्चिम बंगाल	28.9	0	0	28.9	0	0	23.49	0.544	0
	जोड़	**521.1**	**103.02**	**83.29**	**521.1**	**158.39**	**147.51**	**437.78**	**31.0621**	**18.81**

जारी....

<u>**लोक सभा अता. प्र. सं. 3972, दिनांक 25.03.2025**</u>

अनुलग्नक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2023-24**			**2024-25**		
		आबंटित निधियां	**जारी की गई निधियां**	**उपयोग की गई निधियां**	**आबंटित निधियां**	**जारी की गई निधियां ******	**उपयोग की गई निधियां**
1	आंध्र प्रदेश	9.47	0	0	19.58	4.895	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2.61	0	0	3.43	0	0
3	असम	6.58	0	0	12.78	6.39	0
4	बिहार	13.94	0	0	30.09	0	0
5	छत्तीसगढ़	6.28	0	0	12.07	22.07	0
6	गोवा	2.38	0	0	2.89	0.7225	0
7	गुजरात	13.73	6.865	6.865	29.6	7.4	4.25
8	हरियाणा	6.73	0	0	13.14	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	3.1	0.775	0.61	4.59	3.4425	2.12
10	जम्मू और कश्मीर	***	***	***	***	***	***
11	झारखंड	6.7	0	0	13.05	0	0
12	कर्नाटक	10.18	7.635	7.64	21.24	10.62	10.62
13	केरल	9.89	0	0	20.56	0	0
14	मध्य प्रदेश	13.01	3.2525	2.80	27.9	6.975	0
15	महाराष्ट्र	18.28	0	0	40.29	0	0
16	मणिपुर	2.99	0	0	4.33	0	0
17	मेघालय	2.61	2.943	0	3.43	0	0
18	मिजोरम	2.36	0	0	2.85	0	0
19	नागालैंड	2.74	3.307	1.37	3.74	0.935	0
20	ओडिशा	7.67	10.476	9.43	15.33	7.665	0
21	पंजाब	6.35	0	0	12.24	0	0
22	राजस्थान	11.11	0	0	23.43	11.715	0
23	सिक्किम	2.21	2.21	2.13	2.49	1.245	0
24	तमिलनाडु	21.99	0	0	49.02	0	0
25	तेलंगाना	7.86	5.895	5.9	15.78	3.945	0
26	त्रिपुरा	2.91	0	0	4.15	0	0
27	उत्तर प्रदेश	27.97	0	0	63.06	0	0
28	उत्तराखंड	3.64	1.82	1.79	5.85	1.4625	0
29	पश्चिम बंगाल	12.21	0	0	26.02	6.505	0
	जोड़	**237.5**	**45.1785**	**38.535**	**482.93**	**95.9875**	**16.99**

*** वित्तीय वर्ष 2022-23 और उसके बाद से संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा तालिका-II में दिया गया है।
**** जारी की गई निधियों में मदर सैंक्शन भी शामिल है।

<u>**नोट**</u>

I. वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आबंटन और जारी की गई निधियों के आंकड़ों में राज्यों को हथियारों की आपूर्ति के लिए आयुध फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) को जारी की गई निधि शामिल है।

II. आबंटन की तुलना में राज्यों को जारी निधियां भिन्न-भिन्न होती हैं। जहां जारी निधियां आबंटन से कम हैं, वहां ऐसा उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत न करने के कारण है और जहां जारी निधियां आबंटन से अधिक हैं, वहां ऐसा बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन इत्यादि के लिए जारी की गई निधियों के कारण है।

जारी...

<u>लोक सभा अता. प्र. सं. 3972, दिनांक 25.03.2025</u>

अनुलग्नक

<u>तालिका सं.II</u>: 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' की योजना के तहत वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित, जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	2022-23			2023-24			2024-25		
		आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.86	0.43	0.11	0.68	0.6345	0	0.64	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0.5	0	0.73	3.5775	0	0.69	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.66	0.33	0	0.58	0.6245	0	0.56	0	0
4.	दिल्ली	10.69	2.6725	0	5.52	0.544	0	4.48	2.24	0
5.	जम्मू और कश्मीर	6.65	0	0	3.53	0.3345	0	2.9	0	0
6.	लद्दाख	0.66	0.33	0.165	0.58	0.6245	0.231	0.56	0.56	0
7.	लक्षद्वीप	0.58	0.29	0	0.54	0.6045	0	0.53	0	0
8.	पुदुचेरी	1.12	0.8945	0.5241	0.82	0	0	0.75	0	0
	जोड़	**22.22**	**5.447**	**0.7991**	**12.98**	**6.944**	**0.231**	**11.11**	**2.8**	**0**

नोट: संघ राज्य क्षेत्रों को एएसयूएमपी योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 से शामिल किया गया है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक रूप में निधि केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही जारी की जा सकी, क्योंकि मंत्रिमंडल ने अपने दिनांक 19.01.2022 के निर्णय के तहत एएसयूएमपी योजना को जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया था और एएसयूएमपी योजना के दिशानिर्देश दिनांक 08.08.2022 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे।

***